संख्या-1181/2026/746/22-2-2026-17(311)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबा सियाराम तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबा सियाराम तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, जो उजयान, थाना-बरूआसागर, जनपद-झांसी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.06.2020 को 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का प्रयास किये जाने की घटना कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/2020, भा0द0वि0 की धारा-6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-04, (पाक्सो एक्ट), झांसी के दण्डादेश दिनांक 19.05.2023 द्वारा 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रुप से प्रभावित करने वाला अपराध होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपर्युक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी बाबा सियाराम तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.10.2025 तक बन्दी की आयु 67 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 20 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 07.10.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का प्रयास किये जाने) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबा सियाराम तिवारी (बन्दी संख्या-485/2023) पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, निवासी जनपद- झांसी की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1181/2026/746(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।